राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नम्बरः–0141–2740837 फैक्स नम्बरः– 0141–2742309)

क्रमांक : एफ.4(ई)एल–829 / 2013 / अलेसे–III / 5124 दिनांक : 10/02/2020

कार्यालय आदेश

श्री लक्षेन्द्र कुमार चौधरी, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 88 दिनांक 10.01.2020 द्वारा अग्रेषित आवेदन के अनुसार माह फरवरी 2020 में दिनांक 08.02.2020 से 13.02.2020 तक भ्रमण हेतु बाली(इण्डोनेशिया) जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है :–

1 वह अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
2 वह विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व इस विभाग एंव संबंधित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय टेलीफोन/ फैक्स न.आदि सूचित करेगे।
3 विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्वि स्वीकार नही होगी।
4 वह विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय/विदेश सेवा गृहण नही करेगे।
5 वह विदेश यात्रा के दौरान राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नही करेगे।
6 वह विदेश यात्रा में किसी प्रकार का अध्ययन नही करेगे।
7 उनके द्वारा विदेश से भेजा हुआ त्यागपत्र स्वीकृत नही किया जावेगा।
8 विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा /के माध्यम से कोई व्यय/ विदेश विनिमय नही किया जावेगा।
9 वह विदेश से लौटकर इस विभाग को सूचित करेगे।
10 राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की उनके द्वारा पूर्ण पालना की जावेगी।
11 उक्त स्वीकृति उक्त दिनों के लिए ही मान्य होगी।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक : एफ.4(ई)एल–829 / 2013 / अलेसे–III / 5124 दिनांक : 10/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 88 दिनांक 10.01.2020 के क्रम में ।
2 श्री लक्षेन्द्र कुमार चौधरी, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)